कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1767/XXV–12/2008 देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2014

सेवा में,

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
प्रबन्धक ट्रस्टी,
धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट,
सुभाष घाट, हरिद्वार।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त अपील पर सुनवाई हेतु दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह उक्त अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर स्थिति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हों तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीया,

(सौजन्या)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी

कार्यालय अपीलीय अधिकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून

अपील संख्या– 07/2014

अपीलकर्ता:– श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।

बनाम

उत्तरदाता:– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

श्री रमेश चन्द्र शर्मा उपरोक्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने संबंधी उनके आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2014, जो लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से वांछित सूचनायें लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई गयी।

2- आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध न होने पर आवेदक श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा प्रथम अपील दिनांक 31/10/2014 को प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर सुनवाई हेतु अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुये हैं। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को तत्काल वांछित सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय, यदि उक्त सूचना से सन्तुष्ट न हो तो अपीलकर्ता किसी भी कार्यालय दिवस एवं समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाता है।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी /
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

संख्या- 1811 XXV-12/2008 (P2), दिनांक 06 ~~सितम्बर~~ दिसम्बर, 2014।

प्रतिलिपि :- 1.श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबन्धक ट्रस्टी, धर्मशाला मांई गिन्दा कुंवर बरेली ट्रस्ट, सुभाष घाट, हरिद्वार।
2. लोक सूचना अधिकारी, को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सौजन्या)
विभागीय अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी/
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड